परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

वन भूमि मे योजना बनाने का औचित्य

वन भूमि की आवश्यकता	–	0.628 हैक्टेयर
विभाग का नाम	–	निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

ग्राम पंचायत कांसवाली कोठडी विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम डूँगा कोठी, माण्डूवाला, अपर डूँगा, भारावाला, दूनहाईट एवं बेलावाली बस्तियों एवं बस्तियों के आस–पास कई तकनीकी संस्थान व विश्व विद्यालय खुल जाने के कारण उनके छात्र आस–पास केगांवों में निवास करते हैं, जिस कारण ग्राम पंचायत कांसवाली कोडरी एवं उसकी बस्तियों में अधिक पेयजल की कमी हो जाने के कारण कांसवाली कोडरी पेयजल प्रस्तावित की गयी। जिस हेतु विभाग द्वारा सर्वप्रथम नलकूप हेतु सर्वेक्षण कराया गया था, परन्तु आस–पास के क्षेत्र में भूमिगत पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बैठक रखी गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिन श्रोतों से अभी तक ग्राम पंचायत एवं उसकी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध हो रहा था, उन्हीं से योजना का पुर्नगठन करते हुये योजना को नये सिरे से बनाया जाये। जिससे ग्रामवासियों को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा सर्वेक्षण का कार्यकराया गया, जिसमें कि प्रथम श्रोत पनियाना खाला अधिक चौड़ा होने के कारण बी0एफ0जी0 (बोल्डर फील्ड गैलेरी) का निर्माण करते हुये पाईप लाईन का जलाशय तक डिजाईन किया गया। द्वितीय श्रोत कोटराखाला की चौड़ाई कम होने के कारण इन्टेक चैम्बर का निर्माण करते हुये पाईप लाईन का जलाशय तक डिजाईन किया गया। जिसमें पनियाना खाला में बी0एफ0जी0 (9.95मी0X9.95 मी0) एंव कोटरा खाला में इन्टेक चैम्बर (1.0 मी0 X 1.0 मी0) लेते हुये पाईप लाईन की लम्बाई श्रोत से कांसवाली कोडरी तक 5300.00 एंव 5000.00 मी0 दूर स्थित है।

जिसके लिये वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.628 हैक्टेयर है उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु उपयोग की जानी है। अतः उपरोक्त भूमि की क्षतिपूर्ति लागत उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा वन विभाग को भुगतान की जायेगी। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से डूँगा कोठी, माण्डूवाला, अपर डूँगा, भारावाला, दूनहाईट एवं बेलावाली बस्तियों की 3381 जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में पेयजल योजना के निर्माण में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होना निहित नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये योजना में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 0.168 है0 की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियंता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून